

यालय उप जिला कलेक्टर बौली जिला सवाई माधोपुर
फर्द अहकाम

7

दिनांक 01/11/22 वनाम राजेश कुमार
 प्रकरण यात्रा - पत्र/आ०५५ प्रकरण संख्या 59/18

हुकम या कार्यवाही मय इतिहास जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामीर में जारी हुए
<p>16.8.22</p> <p>यमील दाखे ^{श्री} राजेश कुमार नैन उपस्थित। जायें से सार से यह जायें - यह डेल कमाफ का येग किया कि ग्राम जाय नैनवाडी लह० बौली से मुगबिन नकावरी सं० 2053-56 खाना सं. 244 किग 9 कुल लकवा 27 बीघा 6 बिस्वा के जायें से खाना गोपी ल. 1/3 बिस्वा है तथा नापानबहल सं० 758 से गोपी से किया का नापानबहल खोला गया, जिसका उपल उपल नकावरी में है। यह खानेदान से कोई विदार नही होने के कारण पक्षकार नही बनाया गया, उपल साबिन नम्बर से हाल खाना सं० 257 से वर 2063 कायद किया गया। जिसके गजदान के स्थान पर राफदान नजी से किया गया। जो लिखित गुरि है। जिसके इतरन किया जावे।</p>	

उप जिला कलेक्टर
 बौली जिला सवाई माधोपुर

तारीख मुद्रा

पुस्तक या कार्यावाही मध्य प्रतिष्ठितकाल

संख्या 2055-56, प्रस्ताव
 A-2 विद्यालय के प्रांगण, प्रस्ताव
 A-3 मफावेंदी संख्या 2063,
 प्रस्ताव A-4 मफावेंदी संख्या
 2070-73, प्रस्ताव A-5 मफावेंदी
 संख्या 2070-73 प्रस्तावित इलाका
 तथा नक्सीवाक, मिश्रपुर के
 जॉन्स रिपोर्ट गणना की गई

बहुत लंबी। यथा काली
 का अदलोकन किया। प्रस्ताव
 A-1 मफावेंदी संख्या 2053
 का अदलोकन किया। इसमें
 विद्यालय का नोंपा लकड़ा सं०
 758 में गौमी की विद्यालय
 गणना, गनराज, सांखुवा
 , राजु केवा गौमी का नोंपा
 बंदरूवा बंधर डरु है।
 बाद विरिगमेन्ट बाव ख० न०
 का मफावेंदी सं० 2063
 खाना सं० 257 में गनराज
 के स्थान पर राधराज डरु
 हो गया। जो प्रस्ताव A-4
 में भी बंदरूवा है। पूर्व में
 भी नोंपा लकड़ा राजा डारा
 अन्य स्थानों में यथा प्रस्ताव
 A-5 में राधराज के स्थान
 पर गनराज डरु करने से
 आदिम ठरुए गए थे। तथा
 नक्सीवाक मिश्रपुर की

